

राजनीतिक नेतृत्व के प्रतिमान : नेहरू और पटेल

सारांश

राजनीतिक जीवन में मूल्यों और आदर्शों की स्थापना करने वाले जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल ने राजनीतिक नेतृत्व को जो गरिमा प्रदान की वह आने वाले दिनों में समाज का कर्णधार बनने वाले व्यक्तियों के लिए चेतना और प्रेरणा का स्रोत है। स्वतंत्रता आन्दोलन, राष्ट्रीय निर्माण और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में इन दोनों महानायकों का अदभुत योगदान है। प्रस्तुत शोध पत्र में इन दोनों नायकों की वैचारिक धारा, पृष्ठभूमि, कार्यशैली का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द : भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय संविधान, राजनैतिक स्वतंत्रता, उद्देश्य प्रस्ताव, गृह विभाग सूचना प्रसारण विभाग।

प्रस्तावना

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास भारतीय इतिहास का वह स्वर्णिम अध्याय है जो समस्त भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। यह इतिहास अंग्रेजी शासन की दासता से भारत को मुक्त करने के लिए कृत संकल्प देशभक्तों के अनुपम त्याग और बलिदान की गाथा है। यह इतिहास हमें याद दिलाता है उन महान राष्ट्रवादी विचारकों की, जिन्होंने देशवासियों के मन में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की लहर पैदा की और पराधीनता के विरुद्ध लड़ने के लिए देशवासियों में नई शक्ति और उत्साह का संचार किया।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का यह इतिहास महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद दिलाता है जो विश्व के इतिहास में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए मानवीय, नैतिक आदर्शों पर आधारित अपनाए गए साधनों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में नेहरू एवं सरदार पटेल की भूमिका और योगदान का अहम् महत्व है। 1916 के पश्चात के समय में जिस प्रकार गांधी जी का अभ्युदय हुआ और स्वाधीनता संघर्ष तक वे भारतीय राजनीति के एकछत्र नेता के रूप में बरकरार रहे। इसी प्रकार नेहरू की गांधी के सहयोगी के रूप में भूमिका और स्वाधीनता के बाद स्वतंत्र भारत के नेतृत्व को संभालने के कारण उनका अपना प्रभाव भी दूरगामी व मूलगामी रूप में पड़ा। वल्लभभाई पटेल भी गांधी जी के अनुयायी थे। उनके मन में गांधी जी के प्रति वास्तविक श्रद्धा थी लेकिन यह उसी प्रकार की थी जिस प्रकार की एक व्यावहारिक और यथार्थवादी मनुष्य की एक आदर्शवादी के प्रति होती है। राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़कर इस महानायक ने देशी रियासतों का भारतीय शासन में विलय करवाकर इतिहास में पहली बार एक संगठित तथा एकीकृत भारत का चित्र प्रस्तुत किया।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू की भूमिका और अंतरिम सरकार में उपप्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल की भूमिका का विवेचन किया गया है। भारतीय लोकतंत्र अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां उसके सामने एकता, अखण्डता व सुदृढ़ता की दृष्टि से नये और बुनियादी प्रश्न खड़े हो गये हैं, ऐसे में सरदार पटेल व जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक चिंतन की प्रासंगिता बढ़ गई है।

जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व दृष्टि

भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर गांधी के बाद नेहरू का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि 1919 से 1947 तक की अवधि को गांधी युग कहा जाए तो 1947 से 1964 तक की अवधि निश्चित ही नेहरू युग के रूप में है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन से लेकर स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू की भूमिका के अध्ययन से उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष से लेकर स्वतंत्रता और उसके बाद की अवधि के राजनीतिक नेतृत्व में एक अनुकरणीय निरन्तरता की झलक मिलती है। स्वतंत्रता आन्दोलन के समय अपनी भूमिका से जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक नेतृत्व के लिए संगठनात्मक क्षमता,

सपना शर्मा

शोधार्थी,

राजनीतिक विज्ञान विभाग,

राजस्थान विश्वविद्यालय,

जयपुर, राजस्थान

वक्तृता का गुण उत्साह, शौर्य और सर्वोपरि नियंत्रित धैर्य की आवश्यकता पड़ती है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू की सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि एक राजनेता की थी, जो सत्ता की राजनीति से सर्वथा अपरिचित थी। वे सदैव संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरुद्ध व्यापक राष्ट्रवाद के पक्षपाती बने रहे।

“जवाहरलाल नेहरू जी केवल राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय नेता थे। अलग-अलग गुटों में चलने वाले और काम करने वालों को इस दुनिया में किसी एक व्यक्ति ने कुछ अपने ढंग से नजदीक लाने की कोशिश की है तो उसका श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को है।”

14 अगस्त, 1947 की आधी रात के समाप्त होते ही स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ ली। 15 अगस्त, 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर नेहरू के नेतृत्व में सरकार बनी। स्वतंत्र भारत की बागडोर संभालते ही उनकी सरकार को कड़ी चुनौतियों से जूझना पड़ा। नेहरू जी प्रारम्भ से ही इस बात पर बल देते रहे कि केवल स्वराज्य प्राप्त कर लेने से ही देश की प्रगति नहीं हो सकती। निःसंदेह राजनैतिक स्वतंत्रता प्रथम आवश्यकता है। विदेशी शक्ति के अधीन कोई भी जीवित जाति अपने विजेता के साथ कभी सुख की सांस नहीं ले सकती क्योंकि सुख का अर्थ है उन सबकी मृत्यु जो जाति को जीवित रखने की प्राप्ति के पश्चात् आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा प्रथम प्रयास होना चाहिए बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की है जिसके कारण बहुतों को भूखा मरना पड़े और करोड़ों का शोषण हो। स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्त है कि सब प्रकार के शोषण से और इसके लिए हमें समाज की उन सब बुराइयों का उन्मूलन करना होगा जो शोषण करने वालों की सहायता करती हैं।

प्रारम्भिक 14 वर्षों की लम्बी अवधि तक एक नये संविधान का सफल कार्यकरण नेहरू के नेतृत्व में हुआ। संविधान संशोधन विधेयकों का कुशल संचालन करते समय तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बोलते हुए नेहरू ने संविधानिक चिंतन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें कुछ विषय थे—मूल अधिकार बनाम निदेशक तत्व वाक स्वतंत्रता बनाम विवेक युक्त प्रतिबंध व्यक्तिगत अधिकार बनाम समाज हित संसद की सर्वोच्चता बनाम न्यायालयों का क्षेत्राधिकार, सम्पत्ति का अधिकार बनाम सामाजिक न्याय, भाषा समस्या बनाम भावात्मक एकता, राष्ट्र को महान संविधान दिया, संविधान को दार्शनिक आधार दिया। भारत का जो नक्शा नेहरू के मस्तिष्क में था वह उन्होंने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव पर दिया गया भाषण उनके सबसे महत्वपूर्ण भाषणों में से एक भाषण माना जाता है। संविधान के उद्देश्य पत्र पर नेहरू का पर्याप्त प्रभाव है।

जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त, 1947 से लेकर 27 मई, 1967 तक अर्थात् मृत्यु के समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लगभग 17 वर्षों के अपने कार्यकाल में उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक सबल आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया। यह देश का दुर्भाग्य

था कि उनका कुशल नेतृत्व अधिक समय तक न बना रहा और 27 मई, 1964 को दोपहर को लगभग 2 बजे उनका जीवन दीप बुझ गया।

सरदार वल्लभभाई पटेल का नेतृत्व

सरदार वल्लभभाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित गुण था उनके उत्तरदायित्व और नेतृत्व की अदभुत क्षमता, जिसका गुणगान आज सारा भारत करता है। ये दोनों गुण अन्योंन्याश्रित हैं। श्री वी०पी० मेनन के अनुसार—“नेतृत्व दो प्रकार का होता है—एक नेता जैसे नेपोलियन जो नीति और उसके विस्तार दोनों में दक्ष होता है और अपनी आज्ञानुसार उसपर अमल चाहता है। सरदार पटेल का नेतृत्व दूसरी तरह का था। उन्होंने अपने अधिकारियों का सावधानी से चयन किया और उन पर बिना हस्तक्षेप के नीति-निर्माण का कार्य छोड़ दिया। वे कभी यह प्रदर्शित नहीं करते थे कि वे संसार में सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कभी भी एक नीति को स्पष्ट रूप से अपने अधिकारियों की सलाह के बिना स्वीकार नहीं किया। ये विचार विमर्श अधिकारियों से उन्हें लाभ पहुंचाने वाले होते थे।”

सरदार पटेल हस्तक्षेप रहित प्रशासन जिसमें अधिकारियों से पूर्ण नीतिगत लाभ लिया जा सके और प्रशासक दृढ़ता के साथ सार्वजनिक कर्तव्य निभाएं, देश के हित को सर्वोच्च रखना चाहते थे। ऐसा उनके नेतृत्व का चरित्र था और इस और इस प्रकार वे नेपोलियन की भांति राष्ट्रहित की सर्वोच्चता तो चाहते थे परन्तु बिना किसी बुरी परम्परा की नींव डाले प्रजातांत्रिक प्रकृति से कार्य करने वाले राष्ट्रवादी थे।

वल्लभभाई पटेल को अंतरिम मंत्रीमण्डल में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके साथ ही उन्हें सूचना प्रसारण विभाग तथा गृह विभाग भी सौंपा गया। इसके बाद उनके दायित्व में 5 जुलाई, 1947 से देशी राज्य विभाग भी जोड़ दिया गया। भारत के आंतरिक मामलों में वल्लभभाई पटेल सर्वोपरि थे यद्यपि उन्हें जवाहरलाल नेहरू से विचार विमर्श करना आवश्यक होता था। आंतरिक सत्ता के सारे सूत्र पर वल्लभभाई पटेल का नियंत्रण था क्योंकि उन पर गृह विभाग की जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ सूचना प्रसारण विभाग का भी उत्तरदायित्व था कांग्रेस संस्था में भी सरदार पटेल का प्रमुख स्थान था। अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के कारण ही वल्लभभाई पटेल को भारत के व्यवस्थित संगठित और स्थिर भारत का सच्चा निर्माता कहा जाता है। केन्द्र तथा प्रान्तों प्रशासनिक तथा पुलिस विभाग की सेवाओं संबंधी पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने का कार्य गृहमंत्री के रूप में वल्लभभाई पटेल ने कुशलतापूर्वक किया। देश की कठिन परिस्थितियों में कर्मचारियों को यथाशक्ति राष्ट्र की उत्तम सेवा करने की प्रेरणा देने तथा सरकार के संस्थापीय तंत्र का निर्माण करने में गृहमंत्री के रूप में सरदार पटेल का योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

सरदार वल्लभभाई पटेल की राजनीतिक छाप एक ऐसे प्रजातांत्रिक देश के रूप में भारत को देखने को मिलती है, जो गांधी जी के ‘रामराज्य’ की कल्पना को उपलब्ध करा सके लेकिन व्यवहार तक यद्यपि उन्होंने

स्वयं कहा था—“हम बिल्कुल ऐसी स्वतंत्रता चाहते हैं जैसी आज इंग्लैण्ड में है और इससे कम में हम संतुष्ट नहीं होंगे।” सरदार पटेल का राजनीतिक दृष्टिकोण छोटे क्षेत्रीय मुख्यतया भाषाई आधार पर राज्य की स्थापना को देश की अखण्डता पर हानिकारक मानता है और वे इस प्रकार के प्रांतवाद के विरुद्ध हैं। उन्होंने इसी कारण आंध्रप्रदेश का तमिलनाडू से पृथक्करण पर विरोध किया था तथा वे सकारात्मक रूप से गुजरात और महाराष्ट्र के भी विरोधी थे। साथ ही उनकी छोटे राज्यों खासकर उस समय के देशी राज्यों को भी यह सलाह थी कि वे अपने भूतकाल में न जाएं तथा समयानुसार देश के नए कार्यक्रमों में आस्थावान रहे।

वल्लभभाई पटेल ने देश के हित में जितना योगदान देश की स्वतंत्रता के पूर्व में दिया उतना ही योगदान देश की स्वतंत्रता के बाद उसे एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में दिया।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि उक्त दोनों महानायकों की विचारदृष्टि का अलग-अलग लेकिन गंभीर अध्ययन किये जाने से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते रहे हैं जिसमें राजनीतिक नेतृत्व की अवधारणा के संबंध में निकलने वाले निष्कर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण हैं लेकिन व्यापक विरोध व असहमति के बावजूद भी लगभग दो दशकों तक एक साथ सहयोगी के रूप में काम करने के अनुभवों का प्रभाव भी दोनों नायकों के व्यक्तित्व में देखा जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. इतिहासकार अर्नाल्ड टायनवी, पंडित नेहरू पृष्ठ-5
2. शास्त्री, लालबहादुर, नेहरू व्यक्तित्व और विचार, पृष्ठ-291
3. जे.एल.नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया (कलकत्ता-1946) पृष्ठ-530-531
4. आर.जे. वेकटेश्वरन, इम्पैक्ट ऑफ जे.एल.नेहरू ऑन इण्डियाज इकानॉमी, पृष्ठ-124
5. सुभाष कष्यप, जवाहरलाल नेहरू और भारत का संविधान, मेट्रोपोलिटिन, नई दिल्ली, 1982 पृष्ठ 271-272
6. मोरास फ्रेंक, जवाहरलाल नेहरू एक जीवनी (हिन्दी अनुवाद) दी मेकलीन कं., न्यूयार्क 1956, पृष्ठ 330
7. माइकल ब्रीचर, पं. जवाहरलाल नेहरू राजनैतिक जीवन चरित्र अनुवाद हरिवंशराय बच्चन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली 1961, पृष्ठ 335
8. 'ए नेशनल होमेज-लाइफ एण्ड वर्क ऑफ सरदार पटेल' एडीटेड बाय पी.डी. सग्गी ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस बंबई, फर्स्ट एडीशन 1953, पृष्ठ 2
9. 'ए नेशनल होमेज, पी.डी. सग्गी ओवरसीज पब्लिशिंग हाउस, बंबई फर्स्ट एडीशन 1953, पृष्ठ 1919
10. 'फ्रैंक्ड्स ऑफ सरदार पटेल' वी.के. अहलूवालिया, कल्याणी प्रकाशन, लुधियाना, प्रथम संस्करण 1974, पृष्ठ 162